न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 360/2023

चन्दन प्रकाश .....वादी

बनाम्

अखिलेश राय वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

16-06-2025 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी के तरफ से आवेदन आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के अतंर्गत दिनांक 06.03.2024 को प्रचालित कर निवेदन किया गया कि गलत टंकण हो गया है, जिसको सुधारना आवश्यक है, जिससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है।

वाद पत्र की कंडिका नं0 03 की अंतिम से पूर्व तीसरी लाईन में शब्द '' 13.16 एकड़ ऐराजी क्रय किया'' के वाद मं शब्द '' जिसमें सिर्फ वादी का पैसा लगा था, को काट दिया जाय।

वाद पत्र के परिशिष्ट –01 की अंतिम लाईन में शब्द '' कुल रकवा 02.50 '' को काटकर उसकी जगह ''13.16 '' दर्ज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति अंकित किया गया है। वादी के तरफ से दिनांक 06.03.2024 का प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है, जिससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन मो0 500/– पॉच सौ रूपये के खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि आवेदन के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय सिरितेदार से आवेदन में संशोधन पश्चात प्रतिवेदन प्राप्त करें।

दिनांक 30.06.2025 वास्ते वादी आदेश का पालन करें।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)